न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी अनिता कुमारी खटीक (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

प्रार्थपत्र संख्या–17/2024
प्रार्थपत्र प्रविष्टि दिनांक–28.03.2024
निर्णय दिनांक–01.01.2025

बनवारी पुत्र देवीलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम सन्देडा तहसील पीपलू जिला टोंक

प्रार्थी

बनाम

1. रामप्रकाश पुत्र देवीलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम सन्देडा तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. संतरा पुत्री देवीलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम सन्देडा तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
3. तहसीलदार पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

अप्रार्थीगण

अधिवक्ता प्रार्थी–श्री कमलेश कुमार गुर्जर एड0
श्री ईरशाद अहमद एड0
अधिवक्ता अप्रार्थी 01 ता 02–छीतरलाल प्रजापत एड0

आवेदन बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज

अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं की भूमि आराजी ख0न0 1223/3 व ख0न0 1209/1 वाके ग्राम हरिपुरा, पटवार हल्का हरिपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात पक्षकारान् की संयुक्त खातेदारी में जरिये विरासत दर्ज हुई है। किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 ता 02 के पिता के नाम देवीलाल के स्थान पर देवा व देविया दर्ज हो गया, जो की एक लिपिकीय त्रुटी है। जिसको दुरूस्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रार्थी आवेदन के साथ देवीलाल का आधार कार्ड की प्रति, मतदाता पहचान पत्र की प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा की पासबुक की प्रति, प्रार्थी के आधार कार्ड की प्रति, मतदाता पहचान पत्र की प्रति, आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड की प्रति व एक अन्य खाते की जमाबंदी प्रस्तुत की है। जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के पिता का नाम देवीलाल अंकित है। अतः प्रार्थना पत्र दुरूस्ती इन्द्राज मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है की ग्राम हरिपुरा में स्थित आराजीयात में स्थित आराजी ख0न0 1223/3 व 1209/1 में प्रार्थी व प्रतिपक्षी संख्या 01 ता 02 के पिता का नाम देवा व देविया के स्थान देवीलाल दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश प्रदान करे।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

पत्रावली दर्ज पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं तहसीलदार पीपलू से उक्त
ाजीयात के संबंध मे तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई है। अप्रार्थी संख्या 01 ता 02 की ओर से अधिवक्ता श्री
रतलाल प्रजापत ने वकालतनामा व इकबाली जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार
ा जाकर मुताबिक प्रार्थना पत्र दुरूस्ती इन्द्राज की जावे।

तहसीलदार पीपलू से प्राप्त जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार उक्त वर्णित आराजीयात बनवारी पुत्र देवा,
प्रकाश पुत्र देविया, सन्तरा पुत्री देविया जाति बैरवा सा. सीतारामपुरा दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी बनवारी व प्रार्थी के
–बहिन है। जिनके अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि मे प्रार्थी के पिता का नाम देवीलाल
है। प्रार्थी की ग्राम संदेडा मे स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 157 किता 04 रकबा 1.4162 हैक्ट. मे भी
ीगण के पिता का नाम देवीलाल दर्ज है। ग्राम पंचायत संदेडा के संलग्न प्रमाण पत्र अनुसार
/देविया/देवीलाल एक ही व्यक्ति है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सुनी।
वक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए बताया की भूमि आराजी ख0न0
3/3 व ख0न0 1209/1 वाके ग्राम हरिपुरा, पटवार हल्का हरिपुरा मे स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात
कान की संयुक्त खातेदारी मे जरिये विरासत दर्ज हुई है। किन्तु राजस्व रिकॉर्ड मे जमाबंदी मे प्रार्थी व
र्थी संख्या 01 ता 02 के पिता के नाम देवीलाल के स्थान पर देवा व देविया दर्ज हो गया, जो की एक
पिकीय त्रुटी है। प्रार्थी आवेदन के साथ देवीलाल का आधार कार्ड की प्रति, मतदाता पहचान पत्र की प्रति, मृत्यु
ण पत्र की प्रति, बैंक ऑफ बडौदा शाखा की पासबुक की प्रति, प्रार्थी के आधार कार्ड की प्रति, मतदाता
ान पत्र की प्रति, आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड की प्रति व एक अन्य खाते की जमाबंदी प्रस्तुत की है।
में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के पिता का नाम देवीलाल अंकित है। अत: प्रार्थना पत्र दुरूस्ती इन्द्राज
कार किया जाकर ग्राम हरिपुरा मे स्थित आराजीयात मे स्थित आराजी ख0न0 1223/3 व 1209/1 मे प्रार्थी
प्रतिपक्षी संख्या 01 ता 02 के पिता का नाम देवा व देविया के स्थान देवीलाल किये जाने का आदेश प्रदान
। अप्रार्थी संख्या 01 ता 02 ने अपनी बहस मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने मे अपनी सहमति
हिर की है।

अप्रार्थी तहसीलदार ने भी अपनी बहस मे बताया की उक्त वर्णित आराजीयात बनवारी पुत्र देवा,
प्रकाश पुत्र देविया, सन्तरा पुत्री देविया जाति बैरवा सा. सीतारामपुरा दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी बनवारी व प्रार्थी के
–बहिन है। जिनके अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि मे प्रार्थी के पिता का नाम देवीलाल
है। प्रार्थी की ग्राम संदेडा मे स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 157 किता 04 रकबा 1.4162 हैक्ट. मे भी
ीगण के पिता का नाम देवीलाल दर्ज है। ग्राम पंचायत संदेडा के संलग्न प्रमाण पत्र अनुसार
/देविया/देवीलाल एक ही व्यक्ति है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने मे कोई विधिक आपत्ति नही है। अत:
ी का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर प्रार्थी व प्रतिपक्षी संख्या 01 ता 02 के पिता के त्रुटीपूर्ण नाम देवा व देविया
स्थान पर देवीलाल दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करे।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

सरपंच ग्राम पंचायत संदेडा दिनांक 15.04.2024 के प्रमाण पत्र अनुसार देवीलाल बैरवा पुत्र भैरू बैरवा
ासी ग्राम संदेडा फॉर्म के निवासी है। जिनकी जमाबंदी मे नाम देवा, देविया हो रखा है। यह दोनों नाम एक
्यक्ति देवीलाल बैरवा है। यह आज दिनांक को मेरे द्वारा प्रमाणित किया गया है।

हमने पत्रावली, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा प्रार्थी के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, प्रार्थी के
ा के बैंक ऑफ बडौदा शाखा पीपलू द्वारा जारी पासबुक की प्रति, जन आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग
ा जारी मतदाता पहचान पत्र की प्रति, आधार कार्ड, राशन कार्ड की प्रति, सरपंच ग्राम पंचायत संदेडा द्वारा
ी प्रमाण पत्र, नायब तहसीलदार पीपलू से प्राप्त रिपोर्ट, अप्रार्थी के इकबाली जवाब व जमाबंदी संवत
72–75 के खाता संख्या 157 वाके ग्राम संदेडा की प्रति का अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया
ा। उक्त अवलोकन से स्पष्ट है की प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 ता 02 का सही एवं वास्तविक नाम देवीलाल है,
ृषि भूमि आराजी ख0न0 1223/3 व ख0न0 1209/1 वाके ग्राम हरिपुरा, पटवार हल्का हरिपुरा के राजस्व
ॉर्ड मे प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 ता 02 के पिता का नाम **देवा व देविया** दर्ज रिकॉर्ड है, जो त्रुटीपूर्ण है।
ः उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 ता 02 के पिता त्रुटीपूर्ण नाम **देवा
देविया**" के स्थान पर **देवीलाल**" दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय आज दिनांक 01.01.2025
ो मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो
ा नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

(अनिता कुमारी खटीक)
उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
पीपलू (टोंक) (राज0)